Withholding of wages of workers by British India Corporation Limited, Kanpur

367. PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that associate companies of the British India Corporation Limited, Kanpur have withheld wages of workers, etc. for months together due to lapses on the part of the BICL management;

(b) whether a few/Senior Officers have also tendered their resignations due to misbehaviour and wrong doings of the CMD of BICL; and

(c) if so, the facts and details thereof?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Not applicable.

Per Capita requirement of Cloth

368. SHRI RAM NARESH YADAV: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what is the per capita requirement and availability of the cloth in the country at present; and

(b) what measures have been adopted by Government in order to meet the requirement of cloth in the country by 2000 A.D.?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) The per capita requirement (consumption) of cloth for the year 1987-88 (the latest year for which figures are available) was 16.35 linear metres, while the per capita availability of cloth during 1990-91 was 18.22 linear metres.

(b) The production of cloth and yarn has been steadily increasing over the years. Government policy of liberalisation and modernisation of the different sectors of textile industry is expected to give further impetus to the production of cloth to meet the requirements of cloth in the country by 2000 A.D.

Banning of cloth produced by handloom sector for production by mill sector

369. SHRI RAM NARESH YADAV: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether the cloth produced in Handloom Sector will be completely banned for production in Mill sector; and

(b) If so, the reasons therefor and if not, the justification therefor?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) and (b) No, Sir. After the enactment of Handloom Reservation Act, 1985 a notification was issued reserving 22 items exclusively for Handloom Production. Each of the above 22 items, has specifications given there itself. But due to ex-parte stay granted by the Hon'ble Supreme Court on 30.11.87 the Handloom Reservation Act, 1985 and the Orders issued thereunder are inoperative and as soon as the stay is vacated, the orders will come automatically into force.

370. [*Transferred to the 5th September*, 1991]

रेशम का उत्पादन बढ़ाने हेतु कदम

371. श्री अजीत जोगी :

कुमारी आलिया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने

हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ;

(ख) इन उपायों से छोटे तथा सीमांत किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी ; और

(ग) मध्य प्रदेश में शुरू की जा रही परियोजनायें कितनी और किस प्रकार की हैं, उन पर अब तक कितना खर्च किया गया है और इसके परिणामस्वरूप कितना उत्पादन हुआ है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) देश में रेशम उत्पादन का विकास करने में राज्य रेशम उत्पादन विभागों के प्रयासों को पूरा करने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड ने उद्योग को अनुसंधान तथा विकास, विस्तार, प्रशिक्षण तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर सहायता प्रदान करने के लिए एकों का एक देश व्यापी नेट वर्क स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं । ऐसे उठाए गए कदमों के फलस्वरूप रेशम की वसूली में सुधार हुआ है जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है । इसके अतिरिक्त छोटे, मामूली और भूमिहीन किसानों की सहायता के लिए निम्नलिखित योजनायें भी क्रियान्वित की जा रही हैं :—

(क) 50% लागत पर शहतूती कलमों/पौधों की सप्लाई ।

(ख) मामूली किसानों को कीट-पालन उपस्करों की निःशुल्क सप्लाई ।

(ग) 50% लागत पर यूजीफलाई पर नियंत्रण पाने के लिए नायलान के जालों की सप्लाई ।

(घ) द्विफसलीय रेशमकीट पालकों तथा रीलरों को प्रोत्साहन बोनस ।

(ङ) किसानों के अध्ययन दौरों का आयोजन ।

(च) केन्द्रीय रेशम बोर्ड की लागत पर किसानों के खेतों में शहतूती प्रदर्शन फार्म की स्थापना ।

(छ) रीलरों को कोसों की खरीद के लिए इमदादी ब्याज पर कार्यशील पूंजी की सहायता ।

(ज) रीलिंग केन्द्रों में कोसों का निपटान करने के लिए कीटपालकों को विपणन तथा यातायात की सुविधायें प्रदान करना ।

(ग) मध्य प्रदेश में इस समय क्रियान्वित की जा रही रेशम उत्पादन परियोजना के ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार हैं :—

राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना (शहतूती)

अवधि	5 वर्ष (1989-90 से 1994-95 तक)
परिव्यय	(लाख रु० 348.57 लाख रु०
व्यय	31.22 लाख रु० (1990-91 तक)

राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना :—

12 प्रायोगिक राज्यों में से मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें केंद्रीय रेशम बोर्ड विश्व बैंक/स्विस सहायता से राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना क्रियान्वित कर रहा है । राज्य में शहतूत की रोपण के अंतर्गत 2000 एकड़ क्षेत्र को शामिल करने के लक्ष्य में से अभी तक 509.05 एकड़ क्षेत्र को शामिल किया गया है । इस परियोजना में राज्य में निम्नलिखित इन्फ्रास्ट्रेक्चर स्थापित करने की व्यवस्था है :—

पी-2 फार्म	1
ग्रेनेज	1
तकनीकी सेवा केन्द्र (टी०एस०सी०)	4
चाकी पालन केन्द्र	20
कोसों के बाजार	1

कोसा-परीक्षण तथा ग्रेडिंग यूनिट	1
कोसों को सुखाने के चैम्बर्स	20
प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केंद्र	1
रेशम उत्पादन प्रशिक्षण विद्यालय	1

उपरोक्त एकक स्थापना के विभिन्न चरणों में है तथा इसलिए इस परियोजना के अंतर्गत रेशम उत्पादन की उपलब्धि की मात्रा के बारे में अभी बताया जा सकता है जब ये एकक कार्य करना शुरू कर देंगे ।

राज्य व्यापार निगम में फालतू कर्मचारी

372. **श्री अजीत जोगी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना को स्थगित करने और साथ ही अपने फालतू कर्मचारियों की छंटनी का भी निर्णय किया है ;

(ख) क्या अधिकारी तथा कर्मचारी स्तर पर फालतू कर्मचारियों के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एस०टी०सी०) ने दिनांक 5-8-91 से 19-8-91 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना चलायी । योजना को अब स्थगित कर दिया गया है । तथापि कर्मचारियों की छंटनी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) एस० टी० सी० ने बेशी स्टाफ की संख्या और उनके स्वरूप का पता लगाने के लिए अध्ययन करने हेतु राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का गठन किया है ।

आवश्यक वस्तुओं की खरीद हेतु बैंकों आदि द्वारा दिये जाने वाले ऋण

373. **श्री अजीत जोगी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिये कितनी धनराशि के ऋण दिये गये तथा चालू वर्ष में इस प्रयोजन के लए कितनी धनराशि के ऋण दिये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इन बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी थोक विक्रेताओं को दिये जाने वाले ऐसे ऋण बंद किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वाणिज्यिक बैंक आवश्यक वस्तुओं की खरीद के साथ-साथ थोक व्यापारियों के परिचालनों के लिए अग्रिम देते हैं । पिछले 3 वर्षों के दौरान खाद्यान्न चीनी, मुख्य तिलहन आदि जैसी चुनी हुई आवश्यक वस्तुओं के लिए बैंकों के बकाया अग्रिमों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :—

(करोड़ रुपए)

	राशि
मार्च 1988	1722
मार्च 1989	2128
मार्च 1990	2424
फरवरी 1991	2400

(अद्यतन उपलब्ध)

आवश्यक वस्तुओं के व्यापार के लिए अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाएं अग्रिम उपलब्ध नहीं कराती हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।